

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2195] No. 2195] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2013

का.आ. 2819(अ).—केन्द्र सरकार ने, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के आदेश सं. का.आ. 2659 (अ) द्वारा, उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में निदेश दिया था कि वे आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जैसे कि वर्ष 2012—13 अर्थात 30 जून, 2013 तक के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पैक की जाएंगी ।

और जबिक केन्द्र सरकार ने 20 जून, 2013 के सं.का.आ.1788 (अ) के माध्यम से 30 सितम्बर, 2013 को समाप्त होने वाले उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार, उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए कर दिया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि 30 सितम्बर, 2013 को समाप्त होने वाले उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से दो मास की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा ।

[फा.सं. 9/16/2011-पटसन]

सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ii खंड 3, उप—खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 के आदेश सं. का. आ. 2659 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और 20 जून, 2013 के सां.का.आ.1788 (अ) के माध्यम से इसका विस्तार किया गया था ।

4048 GI/2013 (1

MINISTRY OF TEXTILES ORDER

New Delhi, the 20thSeptember, 2013

S.O. 2819(E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed, *vide* order S.O. 2659(E), dated the 31st October, 2012, that the commodities specified in column (2) of the Schedule of that order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage, as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule for the year 2012-13, i.e. upto 30th June, 2013;

And whereas the Central Government extended the validity of the said order *vide*No. S.O. 1788(E), dated the 20th June, 2013, for a further period of three months from the date of the expiry of the said order, that is, upto 30th September, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the aforesaid order, expiring on 30thSeptember, 2013 shall be extended for a further period of two months from the date of its expiry or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

(SUJIT GULATI, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2659(E), dated the 31st October, 2012 and extended *vide* S.O. 1788(E) dated the 20th June, 2013.